राजस्थान सरकार
कार्यालय शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग

क्रमांक : F.1(297)RGHS/Confed/E-Pharma/24-25/Loose-002-00295-6657920 जयपुर, दिनांक : 14698 20/12/24

समस्त सहकारी उपभोक्ता भण्डार एवं
समस्त निजी अनुमोदित फार्मा स्टोर्स
(राज्य के भीतर एवं बाहर)

विषय :–आरजीएचएस में सूचीबद्ध फार्मेसी द्वारा ध्यान दिये जाने योग्य बिन्दुओं के संबंध में।

प्रिय फार्मासिस्ट!

आपकी फार्मेसी आरजीएचएस के अन्तर्गत इसके कार्डधारकों को कैशलेस दवाईयां देने के लिए अनुमोदित और अधिकृत हैं। राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपके द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है:–

1. चिकित्सक द्वारा परामर्शित राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के अन्तर्गत देय दवाईयां ही कार्डधारकों को उपलब्ध करायें।
2. आरजीएचएस में पंजीकृत समस्त लाभार्थी जो क्रोनिक डिजिज़ यथा – हृदय व श्वास सम्बन्धित बीमारियां इत्यादि से पीड़ित हैं तथा उन्हें निरन्तर दवाईयों की आवश्यकता होती है, को ही चिकित्सक द्वारा परामर्शित दवा उपलब्ध करवायी जा सकती है जो एक बार में 30 दिवस से अधिक की ना होवे ।
3. चिकित्सक द्वारा प्रिस्क्रिप्शन पर लिखी गई दवाईयों की मात्रा ही लाभार्थी को दी जाये। यदि पैकिंग के कारण दवाईयां ज्यादा देनी है तो उनका एड्जस्टमेंट आगे किया जाये। उदाहरण– यदि चिकित्सक द्वारा लाभार्थी को थाइराइड की 60 गोलिया एक माह तक (एक–एक दवा की गोली सुबह एवं शाम) लेने हेतु पर्ची पर लिखा गया है परतुं थाइराइड की गोलिया 120 की पैकिंग में उपलब्ध है तो आपके द्वारा लाभार्थी को यह निर्देशित किया जाये की थाइराइड की दवाईयां पैकिंग में दो माह की है अतः लाभार्थी द्वारा अगले माह यह दवा ना ली जाये तथा अगले माह बिल बनाते समय उक्त दवा का बिल नही बनाया जाये यह भी ध्यान रखे।
4. प्रायः यह देखने में आया है कि बाजार में कम मूल्य की दवा उपलब्ध होने के बाद भी कुछ फार्मा स्टोर्स द्वारा मंहगी दवाईयां आरजीएचएस लाभार्थी को उपलब्ध करवायी जाती है। यदि आप द्वारा जानबूझ कर मंहगी दवाईयां दी जाती

Scanned with OKEN Scanner

है तो संपूर्ण जांच की जिम्मेदारी आपकी होगी। जैसे यह देखने में आया है कि IBUGESIC PLUS 60 ml (syp.) दवाई को एक फार्मा स्टोर द्वारा 18,246.80 रूपये की दर से लाभार्थी को उपलब्ध करवाया जाता है जबकि उक्त दवा की वास्तविक दर 34.85 रूपये है। इस प्रकार के और भी प्रकरणों से यह देखने में आया है कि दवाईया कम मूल्य दर पर उपलब्ध होने के बाद भी फार्मा स्टोर्स द्वारा समान दवाई का अधिक मूल्य का बिल बना कर क्लेम किया जा रहा है जिससे राजकीय कोष पर भार बढ़ रहा है। अतः फार्मा स्टोर्स इस प्रकार के प्रकरणों में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सही मूल्य की दवा ही लाभार्थी को उपलब्ध करायें। अन्यथा जांच उपरान्त Recovery की जावेगी।

5. दवाई का बिल बनाते समय लाभार्थी को बिल एवं नियमानुसार दी जाने वाली दवाईयों की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें।
6. प्रिस्क्रिप्शन पर लिखी गई दवाईयो को Substitute नही करे। जिस ब्रांड की दवा लिखी गई है वही लाभार्थी को उपलब्ध करावें। वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 09.06.2024 के बिन्दु संख्या 9.5 के अन्तर्गत किसी भी दवा को Substitute नही किया जाना निर्देशित किया गया है।
7. आरजीएचएस विजिलेंस दस्ता के संज्ञान में आया है कि अनुमोदित फार्मासिस्ट द्वारा आरजीएचएस बेनिफिशियरी के एसएसओआईडी व पासवर्ड लेकर टीआईडी जनरेशन का कार्य भी सम्पादित किया जा रहा है जो कि गैर कानूनी है। इस सम्बन्ध में आरजीएचएस लाभार्थी से ओटीपी प्राप्त करने पर ही दवाईयां उपलब्ध करावें।
8. आरजीएचएस लाभार्थी द्वारा स्वयं का एसएसओ आईडी एवं पासवर्ड देने की मंशा रखना स्वतः ही अनैतिक है। अतः ऐसे लाभार्थियों को आपके द्वारा यह समझाया जाना अत्यावश्यक है कि लाभार्थी स्वयं ही अपनी एसएसओआईडी से टीआईडी **"आरजीएचएस कनेक्ट"** मोबाइल एप/ आरजीएचएस पोर्टल से ही जनरेट करावें।
9. इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही है कि लाभार्थी द्वारा दवा के बदले अन्य वस्तुएं यथा – Whey powder, gym protien, cosmetics एवं अन्य घरेलू सामान दिये जा रहे हैं जो कि नियमानुसार गलत है एवं दण्डनीय अपराध है। ऐसी फार्मा दुकानों पर आरजीएचएस कार्यालय द्वारा डी–एमपैनलमेंट की कार्रवाई की जा रही है व ड्रग कण्ट्रोलर को भी सूचना दी जा रही है। यदि अनुचित लाभ उठाने या ऐसा करने का दबाव बनाया जाए तो उन्हें समझाए एवं इसकी सूचना आरजीएचएस कार्यालय में साझा करें।
10. आरजीएचएस बिल सृजन करते समय लाभार्थी द्वारा समान पर्चे पर दवाई ली गयी हो तो पुनः दवाई ना दी जावे अन्यथा उक्त पर्चे के सृजन पर राज्य सरकार के परिपत्र – 9 दिनांक 23.12.2023 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

11. आरजीएचएस अनुमोदित दवा विक्रेता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी दुकान की जिओ टेगिंग आवश्यकरूप से आरजीएचएस मोबाइल एप द्वारा करावें साथ ही केन्द्र सरकार के एबीडीएम प्रोजेक्ट (आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन) के तहत एम1 रजिस्ट्रेशन भी आवश्यक रूप से करावें।
12. यह भी सुनिश्चित करे कि केवल 'दवा विक्रेता केंद्र' से ही दवा का वितरण हो (एक ही एसएसओ आईडी से अलग–अलग स्थान पर दवा वितरण ना करें।)
13. बिल बनाते समय समस्त राजकीय एवं अनुमोदित फार्मेसी द्वारा यह ध्यान रखा जावे कि पर्चे में सम्बन्धित डॉक्टर द्वारा vitals, स्पष्ट diagnosis, चिकित्सक के हस्ताक्षर, आर एम सी नं. एवं सील पठनीय होना आवश्यक है तदुपरान्त ही बिल का सृजन किया जावे।
14. सेवानिवृत राजकीय चिकित्सक / पीजी रेजीडेंट डॉक्टर की पर्चियों पर दवाईयां नहीं दी जा सकेंगी। दवाईयां सेवारत राजकीय चिकित्सक या निजी अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सक की पर्चियों पर ही उपलब्ध करायी जा सकेगी।
15. क्रय विक्रय सहकारी समिति/ कॉनफेड स्टोर /भण्डार एवं अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर आरजीएचएस के तहत क्रय की गयी दवाईयों का बिल भी सम्बन्धित लाभार्थी को देंगे।

उक्त समस्त बिन्दुओं की पालना आवश्यक रूप से की जावे एवं अनुमोदित फार्मा स्टोर नियमानुसार ही दवा वितरण को किया जाना सुनिश्चित करें। अतः आपसे अपेक्षित है कि आपका नियमानुसार एवं नैतिकता के आधार पर बहुमूल्य योगदान राज्य की उत्कृष्ट योजना आरजीएचएस के क्रियान्वयन में स्मरणीय होगा।

(नवीन जैन)
शासन सचिव, वित्त (व्यय)

Scanned with OKEN Scanner